

फाइल सं. ए.12018/66/2019-कुष्ठ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर बांकुरा, में कनिष्ठ फार्मासिस्ट समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर बांकुरा में कनिष्ठ फार्मासिस्ट समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते हैं।

manojkumar.upadhyay29@gov.in

मनोज 29/11/22

(मनोज कुमार उपाध्याय)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23061640

नई दिल्ली

दिनांक 29/11/22

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2022

सा.का.नि..... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल (समूह ग और समूह घ पद) भर्ती नियम, 1985, जहां तक इनका संबंध कनिष्ठ फार्मासिस्ट के पद से है, का उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान गौरीपुर, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल में कनिष्ठ फार्मासिस्ट (समूह 'ग' पद) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरहता-** वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह का करार किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी?	परिवी क्षा की अवधि, यदि कोई प्रतिनियुक्ति/आमे लन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
कनिष्ठ फार्मासिस्ट	01* (2022)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500- 81100 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच* * यदि भर्ती अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18 एवं 27 वर्ष के बीच होगी। (जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के मामले में, सामान्य वर्ग विभागीय उम्मीदवारों के लिए चालीस वर्ष और	फार्मेसी में बैचलर डिग्री या i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान में 12वीं उत्तीर्ण या समतुल्य योग्यता; और ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा (कोर्स की अवधि 2 वर्ष या अधिक होनी चाहिए) और फार्मेसी अधिनियम, 1948 के अधीन फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत हो।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण- एक वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि के लिए दूर की गई प्रतिनियुक्ति तैनाती अथवा लंबी बिमारी अथवा अद्ययन अवकाश अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों के

			<p>अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पेंतालिस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारण की तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति ज़िला तथा चंबा ज़िला का पांगी उपखंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p>टिप्पण 2: उन पदों के संबंध में जिन पर रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति होनी है। आयु सीमा निर्धारण की तारीख, प्रत्येक मामले में, वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया हो।</p>	<p>टिप्पण 1: अहंताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अहंताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	<p>चलते हुई रिक्तियों को निम्नलिखित केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के बीच में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाएगा-</p> <p>(क) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं और;</p> <p>(ख) स्तंभ-7 के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित योग्यता।</p>
--	--	--	---	--	---

प्रेन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	<p>विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - अध्यक्ष 2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - सदस्य 3. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - सदस्य 	लागू नहीं होता।

[ए.12018/66/2019-कुष्ठ]

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार